



## वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली द्वारा कर अपवंचन नियंत्रण की प्रभावशीलता: उज्जैन संभाग के संदर्भ में अध्ययन

सुरभि खत्री<sup>1</sup>, डॉ. जी. एल. खांगोडे<sup>2</sup>

<sup>1</sup>शोधार्थी, (विषय - वाणिज्य)

<sup>2</sup>शोध निर्देशक, (सह-प्राध्यापक, वाणिज्य), प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस, शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन - मध्य प्रदेश ( विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन )

Corresponding Author: सुरभि खत्री

DOI- 10.5281/zenodo.14991938

### सारांश:

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत में कर प्रणाली का सबसे बड़ा सुधार है, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत करने और कराधान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का एक बड़ा प्रयास है। प्रस्तुत शोध पत्र उज्जैन संभाग के संदर्भ में जीएसटी की लोकप्रियता, राजस्व संग्रहण, कर अपवंचन पर नियंत्रण और इसकी जटिलता का विश्लेषण करता है। अध्ययन में 400 उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया और सांख्यिकीय परीक्षणों के माध्यम से परिकल्पनाओं का मूल्यांकन किया गया। परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि जीएसटी एक लोकप्रिय और प्रभावी कर प्रणाली है, जिसने राजस्व संग्रहण को बढ़ावा दिया है और कर अपवंचन पर नियंत्रण में सहायता की है। हालाँकि, इसे पहले की कर प्रणाली की तुलना में अधिक कठिन माना गया है। यह शोध जीएसटी के विभिन्न पहलुओं को समझने और इसके कार्यान्वयन में सुधार के लिए सुझाव प्रदान करता है।

**मुख्य शब्द:** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), कर अपवंचन, राजस्व संग्रहण, अप्रत्यक्ष कर, कर प्रणाली, उज्जैन संभाग, सांख्यिकीय परीक्षण

### परिचय:

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत में कर प्रणाली का सबसे बड़ा सुधार है, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह सुधार अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत करने और कराधान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किया गया था। जीएसटी ने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और अन्य करों को समाहित कर एकल कर प्रणाली का निर्माण किया। इससे "एक राष्ट्र, एक कर" की अवधारणा साकार हुई और भारतीय अर्थव्यवस्था को पारदर्शिता, सरलता और दक्षता प्राप्त हुई। जीएसटी लागू होने से पहले, भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जटिल और केंद्र तथा राज्यों द्वारा लगाए गए विभिन्न करों का संग्रह था, जिससे व्यापारिक प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती थी। यह प्रणाली व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण थी। 2000 में, जीएसटी पर व्यापक चर्चा शुरू हुई, और 2017 में इसे लागू किया गया। जीएसटी के तहत, कराधान प्रणाली को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया: केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी), राज्य जीएसटी (एसजीएसटी), एकीकृत

जीएसटी (आईजीएसटी) और केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी (यूटीजीएसटी)। यह विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करता है। जीएसटी को "इनपुट टैक्स क्रेडिट" की अवधारणा पर आधारित किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि प्रत्येक उत्पाद के निर्माण और वितरण के दौरान दोहरे कराधान की समस्या न हो। इसने न केवल व्यापारियों को राहत दी, बल्कि उत्पादों की लागत को भी कम किया (गिरीश गर्ग, 2014)।

जीएसटी के लागू होने के बाद, इसके प्रभावों का व्यापक अध्ययन और विश्लेषण किया गया। जीएसटी ने भारत में राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि की है। जीएसटी परिषद द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस प्रणाली ने कर आधार को बढ़ाया और कर अनुपालन में सुधार किया। छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएमई) के लिए यह प्रणाली विशेष रूप से लाभकारी रही, जिन्होंने डिजिटल कर भुगतान प्रणाली को अपनाया। इसके साथ ही, जीएसटी ने कर अपवंचन पर नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ई-वे बिल, ई-इनवॉइसिंग और डिजिटल कराधान

प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रत्येक लेनदेन का लेखा-जोखा सुनिश्चित किया गया। परिणामस्वरूप, कर चोरी की गतिविधियों में कमी आई और सरकार के राजस्व आधार में स्थिरता आई। कराधान प्रणाली की पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़ाने के साथ-साथ, जीएसटी ने व्यापार को सुगम बनाने में भी योगदान दिया। यह प्रणाली राज्यों के बीच कराधान बाधाओं को समाप्त कर एकीकृत बाजार बनाने में सहायक रही, जिससे व्यवसायों को अधिक कुशलता से संचालित करने में मदद मिली (पिंकी, सुप्रिया कामना, वर्मा, 2014)।

हालाँकि, जीएसटी के लागू होने में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आईं। इसके प्रारंभिक चरण में, जीएसटी पोर्टल में तकनीकी समस्याओं और अनुपालन आवश्यकताओं की जटिलता ने व्यापारियों और करदाताओं के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न कीं। कई व्यापारियों ने नई प्रणाली को समझने और इसके तहत आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाने में कठिनाई महसूस की। राजस्व वितरण को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद और कर दरों की बहुस्तरीय संरचना ने उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच भ्रम पैदा किया। हालाँकि, जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इन चुनौतियों को धीरे-धीरे हल किया गया। उज्जैन संभाग, जो एक प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है, इस प्रक्रिया का साक्षी रहा। यहाँ के व्यापारियों ने डिजिटल कर प्रणाली को अपनाया और कर अनुपालन में सुधार किया। राजस्व संग्रहण में वृद्धि और कर अपवंचन पर नियंत्रण के संदर्भ में यह क्षेत्र एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। हालाँकि, व्यापारियों को शुरुआती चरण में जटिलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ इस प्रणाली ने स्थायित्व प्राप्त किया (घटना चक्र, 2016)।

भारत में जीएसटी के कार्यान्वयन को अन्य देशों के अनुभवों से प्रेरणा मिली है। फ्रांस, जिसने 1954 में सबसे पहले जीएसटी प्रणाली को अपनाया, और कनाडा, जिसने इसे संघीय प्रणाली के तहत लागू किया, के अनुभवों ने भारत को अपनी प्रणाली को अनुकूल बनाने में मदद की। इन देशों ने यह दिखाया कि एकीकृत कर प्रणाली कैसे व्यापार को सरल और पारदर्शी बना सकती है। भारत ने भी अपने अनुभवों के आधार पर जीएसटी को एक गंतव्य-आधारित कर प्रणाली के रूप में डिज़ाइन किया।

जीएसटी की सफलता का आकलन इसके विभिन्न प्रभावों से किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि इसने न केवल राजस्व संग्रहण को बढ़ावा दिया है, बल्कि कर अनुपालन को भी प्रोत्साहित किया है। उत्तरदाताओं के अनुसार, जीएसटी ने कराधान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया है। हालाँकि, यह भी माना गया कि जीएसटी प्रणाली को समझना और अपनाना पहले की कर प्रणाली की तुलना में अधिक कठिन

था। यह निष्कर्ष इस तथ्य को रेखांकित करता है कि डिजिटल प्रक्रियाओं और तकनीकी समाधानों को अपनाने के बावजूद, व्यापारियों और करदाताओं को नई प्रणाली के साथ सामंजस्य स्थापित करने में समय लगा। जीएसटी के जटिल अनुपालन और तकनीकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, यह सुझाव दिया गया है कि भविष्य में कर प्रणाली को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया जाए।

उज्जैन संभाग के संदर्भ में, जीएसटी ने व्यापारिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। इस क्षेत्र के व्यापारियों ने जीएसटी के माध्यम से कर चोरी को कम करने और डिजिटल कराधान प्रणाली को अपनाने में प्रगति की है। जीएसटी के लाभों में से एक यह है कि इसने व्यापार के लिए एक समान मंच प्रदान किया है, जिसमें विभिन्न राज्यों के बीच कराधान में एकरूपता लाई गई है। इसने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, बल्कि क्षेत्रीय व्यापारिक समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित किया है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से, जीएसटी ने उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। यह प्रणाली कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने और राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के अपने उद्देश्य में सफल रही है। हालाँकि, यह भी आवश्यक है कि जीएसटी के कार्यान्वयन और अनुपालन को सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए निरंतर सुधार किए जाएँ।

इस प्रकार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली ने भारतीय कर प्रणाली में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण यह दर्शाता है कि जीएसटी न केवल कराधान प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने में सफल हुआ है, बल्कि इसने व्यापारिक प्रक्रियाओं को भी अधिक कुशल बनाया है। हालाँकि, इस प्रणाली की जटिलताओं और शुरुआती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि भविष्य में इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नीतिगत सुधार किए जाएँ। यह अध्ययन जीएसटी के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझने और इसके कार्यान्वयन में सुधार के लिए सुझाव प्रदान करने में सहायक होगा (गिरीश गर्ग, 2014; लोर्डुनाथन और जेवियर, 2017)।

#### साहित्य समीक्षा:

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने भारतीय कर प्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने का काम किया है। इसके प्रभाव, कार्यान्वयन, चुनौतियाँ और संभावनाओं पर कई शोध और अध्ययन किए गए हैं। जीएसटी के प्रारंभिक उद्देश्य, इसके लागू होने से पहले और बाद की स्थिति, राजस्व संग्रहण, कर अपवंचन नियंत्रण, और इसके लाभ और चुनौतियों को समझने के लिए साहित्यिक स्रोतों की समीक्षा करना आवश्यक है।

गिरीश गर्ग (2014) के अनुसार, जीएसटी ने भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल और संगठित किया। उन्होंने अपने अध्ययन में इसकी बुनियादी अवधारणाओं और विशेषताओं को रेखांकित किया है, जिसमें विभिन्न करों को समेकित करने और कराधान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की बात कही गई है। उनके अनुसार, जीएसटी ने उत्पादों और सेवाओं की लागत में कमी लाने में मदद की, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। साथ ही, उन्होंने इसे एक चुनौतीपूर्ण प्रणाली के रूप में भी पहचाना, जिसमें अनुपालन की जटिलताओं का सामना करना पड़ा।

पिंकी, सुप्रिया कामना और ऋचा वर्मा (2014) ने अपने अध्ययन में जीएसटी को भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए "रामबाण" करार दिया। उनका मानना था कि यह प्रणाली न केवल कर चोरी को नियंत्रित करती है, बल्कि राजस्व संग्रहण में भी वृद्धि करती है। उन्होंने विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया।

लोरुनाथन और जेवियर (2017) ने जीएसटी के कार्यान्वयन की संभावनाओं और चुनौतियों का अध्ययन किया। उन्होंने इसे भारत की कर प्रणाली में एक बड़ी क्रांति के रूप में देखा, लेकिन इसके लागू होने में आई चुनौतियों, जैसे कि तकनीकी समस्याएँ और जागरूकता की कमी, पर भी चर्चा की। उन्होंने ई-वे बिल और डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से कर अपवंचन पर नियंत्रण की संभावना को उजागर किया।

दैनिक जागरण (2016) के अनुसार, जीएसटी ने 18% कर संरचना को अपनाकर सेवाओं और वस्तुओं की कीमतों को संतुलित करने का काम किया। इसने व्यवसायों के लिए कर प्रक्रिया को सरल बनाया, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। हालाँकि, प्रारंभिक चरणों में इसकी जटिलताओं ने व्यापारियों के लिए समस्याएँ उत्पन्न कीं। घटना चक्र (2016) ने जीएसटी विधेयक की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित किया और इसे संसद में प्रस्तुत किए जाने के समय इसे एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में वर्णित किया। उन्होंने इस प्रणाली को कराधान प्रक्रिया में समग्र सुधार के रूप में पहचाना।

आर्थिक सर्वेक्षण (2020-21) ने जीएसटी के राजकोषीय प्रभाव का विश्लेषण किया। उनके अनुसार, जीएसटी ने राजस्व संग्रहण में स्थिरता प्रदान की और कर अनुपालन को बढ़ावा दिया। यह प्रणाली विशेष रूप से डिजिटल कराधान प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता और कर चोरी पर नियंत्रण में सहायक रही। जीएसटी परिषद (2020) ने जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली को सरल और व्यवस्थित बनाने में अपने योगदान पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इसे कर अनुपालन बढ़ाने और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में प्रस्तुत सुरभि खत्री<sup>1</sup>, डॉ. जी. एल. खांगोडे<sup>2</sup>

किया। डेलॉयट (2020) ने जीएसटी की तीन साल की यात्रा का विश्लेषण किया और इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार करार दिया। उन्होंने ई-वे बिल और ई-इनवाइसिंग जैसे डिजिटल समाधानों के माध्यम से कर चोरी पर नियंत्रण की सफलता को रेखांकित किया। हालाँकि, उन्होंने अनुपालन की जटिलताओं और व्यापारियों की प्रारंभिक समस्याओं को भी स्वीकार किया।

द्विवेदी, अग्रवाल और मदन (2019) ने भारत में चमड़ा उद्योगों पर जीएसटी के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जीएसटी ने उत्पादन प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाया, जिससे इन उद्योगों की कार्यकुशलता में सुधार हुआ।

बिंदल और गुप्ता (2018) ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभाव का विश्लेषण किया। उन्होंने इसे व्यापारिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने और राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने का माध्यम बताया। उनके अनुसार, जीएसटी ने "ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस" को बढ़ावा दिया, लेकिन इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ भी सामने आईं। भट्टाचार्य (2017) ने जीएसटी के कार्यान्वयन और मूल्यांकन का अध्ययन किया। उनके अनुसार, इस प्रणाली ने व्यापार और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बढ़ाया और कराधान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया।

अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, एबेके, मंसूर और रोटा-ग्राज़ियोसी (2016) ने उप-सहारा अफ्रीका में कर प्रणाली पर जीएसटी जैसी प्रणालियों के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देने और कर चोरी पर नियंत्रण में प्रभावी रही है। डोम (2018) ने कराधान और जवाबदेही के संबंध में जीएसटी जैसी प्रणालियों के प्रभाव का विश्लेषण किया। उन्होंने इसे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने का एक साधन बताया। आनंद और उनके सहयोगियों (2018) ने भारत में सूचना सुरक्षा शासन में परिवर्तन पर जीएसटी के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने इसे तकनीकी दृष्टिकोण से प्रभावी माना, लेकिन इसके अनुपालन के लिए व्यापारियों को जागरूक करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बेस्ले और पर्सन (2009) ने राज्य क्षमता और कराधान के संबंध में अध्ययन किया। उनके अनुसार, जीएसटी जैसी प्रणाली संपत्ति अधिकारों और कर प्रणाली को संरक्षित करने में सहायक होती है। इस साहित्यिक समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि जीएसटी ने भारतीय कर प्रणाली में पारदर्शिता, सरलता और दक्षता लाने का काम किया है। हालाँकि, इसे लागू करने में कई चुनौतियाँ सामने आईं, जिनमें अनुपालन की जटिलता और व्यापारियों की प्रारंभिक समस्याएँ शामिल थीं। विभिन्न शोधकर्ताओं और संगठनों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि

जीएसटी ने राजस्व संग्रहण में वृद्धि, कर अपवंचन पर नियंत्रण, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह समीक्षा इस बात को भी रेखांकित करती है कि जीएसटी के सफल कार्यान्वयन के लिए जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, और डिजिटल प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। जीएसटी ने भारत में व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए "ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस" को प्रोत्साहित किया, लेकिन इसके लागू होने में आई शुरुआती समस्याओं को दूर करना अभी भी एक चुनौती है।

#### कार्यप्रणाली

यह अध्ययन वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के कार्यान्वयन, प्रभाव, और चुनौतियों को उच्च संभाग के संदर्भ में विश्लेषित करता है। इस शोध में प्राथमिक और द्वितीयक डेटा संग्रह के माध्यम से एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। प्राथमिक डेटा उत्तरदाताओं के अनुभव और दृष्टिकोण को समझने के लिए एकत्र किया गया, जबकि द्वितीयक डेटा जीएसटी से संबंधित प्रकाशित शोध पत्र, सरकारी रिपोर्ट, और अन्य प्रासंगिक स्रोतों से प्राप्त किया गया।

#### अध्ययन का क्षेत्र

इस शोध का क्षेत्र उच्च संभाग है, जो एक प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ के व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर जीएसटी के प्रभाव का विश्लेषण इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। उच्च संभाग को इस अध्ययन के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह क्षेत्र जीएसटी के कार्यान्वयन से सीधे प्रभावित हुआ है और यहाँ का डेटा कर प्रणाली के व्यापक प्रभाव को समझने में सहायक हो सकता है।

#### शोध डिजाइन

यह अध्ययन एक वर्णात्मक और विश्लेषणात्मक डिजाइन पर आधारित है। इसमें जीएसटी के विभिन्न आयामों जैसे राजस्व संग्रहण, कर अपवंचन नियंत्रण, और अनुपालन की जटिलताओं का विश्लेषण किया गया है।

#### नमूना आकार और चयन प्रक्रिया

अध्ययन के लिए 400 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। उत्तरदाताओं का चयन यादृच्छिक नमूना विधि का उपयोग करके किया गया। इनमें व्यापारियों, उपभोक्ताओं, और करदाताओं को शामिल किया गया, ताकि जीएसटी प्रणाली के सभी पहलुओं को समझा जा सके।

#### डेटा संग्रह की विधि

##### 1. प्राथमिक डेटा:

प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई, जिसमें जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर आधारित प्रश्न

शामिल थे। प्रश्नावली को उत्तरदाताओं को वितरित किया गया और उनके उत्तर एकत्रित किए गए।

- प्रश्नावली के मुख्य विषय:
  - जीएसटी की लोकप्रियता
  - जीएसटी के तहत राजस्व संग्रहण
  - कर अपवंचन पर नियंत्रण
  - जीएसटी प्रणाली की जटिलता
  - व्यापार और उपभोक्ता व्यवहार पर जीएसटी का प्रभाव

##### 2. द्वितीयक डेटा:

द्वितीयक डेटा संग्रह के लिए विभिन्न प्रासंगिक स्रोतों जैसे शोध पत्र, सरकारी रिपोर्ट, और समाचार लेखों का अध्ययन किया गया। इन स्रोतों से जीएसटी के कार्यान्वयन और प्रभाव से संबंधित आंकड़े और तथ्य एकत्रित किए गए।

- स्रोत:
  - सरकारी रिपोर्ट (जैसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017)
  - जीएसटी परिषद द्वारा जारी सांख्यिकीय डेटा
  - शोध पत्र (जैसे गिरीश गर्ग, 2014; लोर्डुनाथन और जेवियर, 2017)

#### डेटा विश्लेषण की विधि

संग्रहित डेटा का विश्लेषण सांख्यिकीय और वर्णनात्मक तकनीकों के माध्यम से किया गया।

#### सांख्यिकीय तकनीकें:

- आवृत्ति (Frequency) और प्रतिशतता (Percentage) का उपयोग उत्तरदाताओं के उत्तरों का विश्लेषण करने के लिए किया गया।
- p-मान (P-Value) के आधार पर परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया।
- चार प्रमुख परिकल्पनाओं का मूल्यांकन किया गया, जैसे कि जीएसटी की लोकप्रियता, राजस्व संग्रहण में वृद्धि, कर अपवंचन पर नियंत्रण, और इसकी जटिलता।

#### परिकल्पनाएँ:

1. जीएसटी एक लोकप्रिय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है।
2. जीएसटी से राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई है।
3. जीएसटी से कर अपवंचन पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
4. जीएसटी प्रणाली पहले की कर प्रणाली की तुलना में कठिन है।

#### परीक्षण उपकरण और प्रक्रिया

डेटा विश्लेषण के लिए SPSS सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। p-मान की गणना के लिए सांख्यिकीय परीक्षण किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शून्य परिकल्पना को खारिज किया जा सकता है या नहीं।

#### परिणाम


यह अध्ययन वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के प्रभाव, कार्यान्वयन, और चुनौतियों का विश्लेषण

करने के लिए 400 उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। परिणामों में आयु, लिंग, सामाजिक वर्ग, व्यवसाय, वार्षिक आय, और स्थान जैसे विभिन्न जनसांख्यिकीय कारकों के साथ-साथ जीएसटी से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर उत्तरदाताओं की राय का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त, परिकल्पनाओं का परीक्षण और

वर्णात्मक विश्लेषण किया गया, जिससे जीएसटी की प्रभावशीलता, लोकप्रियता, और जटिलताओं के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए। परिणाम न केवल जीएसटी के सकारात्मक प्रभावों को उजागर करते हैं, बल्कि इसके सुधार के लिए आवश्यक पहलुओं की भी पहचान करते हैं।

तालिका 1: आयु का वर्गीकरण

आयु वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशतता
18-30 वर्ष	24	6.0%
30-40 वर्ष	180	45.0%
40-50 वर्ष	179	44.8%
50 वर्ष से अधिक	17	4.3%
कुल	400	100.0%




चित्र 1: आयु का वर्गीकरण

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 30-40 वर्ष (45%) और 40-50 वर्ष (44.8%) के आयु वर्ग से हैं। ये दोनों आयु वर्ग मिलकर 90% उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे यह निष्कर्ष

निकाला जा सकता है कि जीएसटी के प्रभाव को समझने और उसका मूल्यांकन करने में मध्य आयु वर्ग के लोग सबसे अधिक सक्रिय हैं। युवा और वरिष्ठ आयु वर्ग की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है।

तालिका 2: लिंग का वर्गीकरण

लिंग	आवृत्ति	प्रतिशतता
पुरुष	234	58.5%
महिला	166	41.5%
कुल	400	100.0%




## चित्र 2: लिंग का वर्गीकरण

उत्तरदाताओं में पुरुषों का प्रतिशत 58.5% है, जो महिलाओं (41.5%) से अधिक है। यह इंगित करता है कि जीएसटी से संबंधित आर्थिक और व्यापारिक मामलों में पुरुष अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि,

महिलाओं की 41.5% भागीदारी भी यह दिखाती है कि वे भी कर प्रणाली के प्रभाव को समझने और मूल्यांकन करने में रुचि रखती हैं।

## तालिका 3: सामाजिक वर्ग का वर्गीकरण

सामाजिक वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशतता
सामान्य वर्ग	132	33.0%
अनुसूचित जाति (SC)	79	19.8%
अनुसूचित जनजाति (ST)	76	19.0%
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	113	28.2%
<b>कुल</b>	<b>400</b>	<b>100.0%</b>




## चित्र 3: सामाजिक वर्ग का वर्गीकरण

सामाजिक वर्गों के आधार पर, सामान्य वर्ग (33%) और ओबीसी वर्ग (28.2%) के उत्तरदाता प्रमुख हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्तरदाताओं

का सम्मिलित प्रतिशत 38.8% है, जो इस बात को दर्शाता है कि जीएसटी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर व्यापक रूप से पड़ा है।

## तालिका 4: व्यवसाय का वर्गीकरण

व्यवसाय	आवृत्ति	प्रतिशतता
सरकारी कर्मचारी	123	30.8%
निजी क्षेत्र के कर्मचारी	58	14.5%
स्व-नियोजित	45	11.3%
व्यवसाय स्वामी	174	43.5%
<b>कुल</b>	<b>400</b>	<b>100.0%</b>




**चित्र 4: व्यवसाय का वर्गीकरण**

सबसे अधिक उत्तरदाता व्यवसाय स्वामी (14.5%) भी इस अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं (43.5%) हैं, जो जीएसटी के प्रत्यक्ष प्रभाव को महसूस करते स्व-नियोजित उत्तरदाताओं का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम हैं। सरकारी कर्मचारी (30.8%) और निजी क्षेत्र के कर्मचारी (11.3%) है।

**तालिका 5: वार्षिक आय का वर्गीकरण**


वार्षिक आय	आवृत्ति	प्रतिशतता
2,50,000 रुपये से कम	76	19.0%
2,50,000 - 5,00,000 रुपये	114	28.5%
5,00,000 - 10,00,000 रुपये	115	28.7%
10,00,000 रुपये से अधिक	95	23.8%
<b>कुल</b>	<b>400</b>	<b>100.0%</b>

**चित्र 5: वार्षिक आय का वर्गीकरण**

वार्षिक आय के आधार पर, 5,00,000 से 10,00,000 रुपये के आय वर्ग (28.7%) में सबसे अधिक उत्तरदाता हैं। 10,00,000 रुपये से अधिक आय वाले उच्च आय वर्ग के उत्तरदाता 23.8% हैं, जो अनुपालन और कराधान के प्रभावों को गहराई से समझते हैं।

**तालिका 6: ग्रामीण और शहरी स्थान का वर्गीकरण**

स्थान	आवृत्ति	प्रतिशतता
ग्रामीण	124	31.0%
शहरी	276	69.0%
<b>कुल</b>	<b>400</b>	<b>100.0%</b>



## चित्र 6: ग्रामीण और शहरी स्थान का वर्गीकरण

शहरी क्षेत्रों के उत्तरदाता 69% हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्तरदाता 31% हैं। यह इंगित करता है कि शहरी क्षेत्र जीएसटी के प्रभाव को अधिक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ और औद्योगिक क्षेत्रों की अधिकता है।

## वर्णात्मक विश्लेषण तालिका

नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के आधार पर जीएसटी के विभिन्न पहलुओं का वर्णात्मक विश्लेषण किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवृत्ति, माध्य, और मानक विचलन का उपयोग किया गया है।

क्रमांक	प्रश्न	नमूना आकार	माध्य	मानक विचलन
1	क्या भारत में जीएसटी के इतिहास और विकास के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है?	400	1.21	0.408
2	क्या पिछली कर प्रणाली से जीएसटी में संक्रमण सुचारू था?	400	1.12	0.319
3	क्या जीएसटी की शुरुआत भारत के कर सुधारों में एक आवश्यक कदम था?	400	1.08	0.275
4	क्या जीएसटी का कार्यान्वयन अच्छी तरह से योजनाबद्ध और निष्पादित किया गया था?	400	1.08	0.272
5	क्या जीएसटी ने राजस्व संग्रह प्रक्रिया को सरल बना दिया है?	400	1.06	0.233
6	क्या जीएसटी ने कर अपवंचन को प्रभावी ढंग से कम किया है?	400	1.06	0.242
7	क्या जीएसटी प्रणाली पहली कर प्रणाली की तुलना में अधिक कठिन है?	400	1.08	0.275
8	क्या जीएसटी ने करदाताओं पर समग्र कर बोझ को कम कर दिया है?	400	1.11	0.316
9	क्या जीएसटी के तहत अनुपालन लागत उचित है?	400	1.08	0.275
10	क्या जीएसटी ने व्यापार करना आसान बना दिया है?	400	1.19	0.397

परिणामों के वर्णात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। उत्तरदाताओं का औसत मान (माध्य) यह दर्शाता है कि अधिकांश लोग जीएसटी के इतिहास और विकास (माध्य 1.21, मानक विचलन 0.408) के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं।

हालाँकि, पिछली कर प्रणाली से जीएसटी में संक्रमण को अपेक्षाकृत कम सुचारू (माध्य 1.12, मानक विचलन 0.319) माना गया। इसके बावजूद, जीएसटी को भारत के कर सुधारों में एक आवश्यक कदम (माध्य 1.08, मानक विचलन 0.275) के रूप में देखा गया है। कार्यान्वयन की योजनाबद्धता (माध्य 1.08, मानक विचलन 0.272) और राजस्व संग्रह प्रक्रिया की सरलता (माध्य 1.06, मानक विचलन 0.233) को उत्तरदाताओं ने महत्वपूर्ण माना। कर अपवंचन को कम करने में जीएसटी की भूमिका को भी स्वीकार किया गया (माध्य 1.06, मानक

विचलन 0.242)। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने यह भी महसूस किया कि जीएसटी प्रणाली पहले की कर प्रणाली की तुलना में अधिक कठिन (माध्य 1.08, मानक विचलन 0.275) है। समग्र कर बोझ को कम करने (माध्य 1.11, मानक विचलन 0.316) और अनुपालन लागत को उचित (माध्य 1.08, मानक विचलन 0.275) मानने में उत्तरदाताओं की सहमति रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरदाताओं ने जीएसटी को व्यापार करने में आसानी (माध्य 1.19, मानक विचलन 0.397) प्रदान करने वाली प्रणाली के रूप में स्वीकार किया।

ये परिणाम न केवल जीएसटी के सकारात्मक प्रभावों को उजागर करते हैं, बल्कि इसकी जटिलताओं और सुधार की संभावनाओं को भी रेखांकित करते हैं। उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाएँ इस बात का संकेत देती हैं कि जीएसटी भारतीय कर प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता, और सुधार का एक प्रभावी माध्यम बना है।



तालिका 7: परिकल्पना परीक्षण परिणाम

परिकल्पना	परीक्षण परिणाम ( $p < 0.05$ )	निष्कर्ष
जीएसटी एक लोकप्रिय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है।	0.0003	परिकल्पना सत्यापित, जीएसटी एक लोकप्रिय कर प्रणाली है।
जीएसटी से राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई है।	0.002	परिकल्पना सत्यापित, जीएसटी ने राजस्व संग्रहण में वृद्धि की है।
जीएसटी से कर अपवंचन पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।	0.000	परिकल्पना सत्यापित, जीएसटी ने कर अपवंचन पर नियंत्रण किया है।
जीएसटी प्रणाली पहले की कर प्रणाली की तुलना में कठिन है।	0.0001	परिकल्पना सत्यापित, जीएसटी प्रणाली अधिक कठिन है।

परिकल्पना परीक्षण के परिणाम यह दर्शाते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली ने भारतीय कर प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण और सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह पुष्टि हुई कि जीएसटी एक लोकप्रिय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है ( $p = 0.0003$ ), जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसे करदाताओं और व्यापारियों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। साथ ही, जीएसटी ने राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि की है ( $p = 0.002$ ), जो यह इंगित करता है कि इस प्रणाली ने न केवल कर अनुपालन को प्रोत्साहित किया है, बल्कि सरकारी राजस्व में भी स्थायित्व लाया है। कर अपवंचन के संदर्भ में, परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जीएसटी ने प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है ( $p = 0.000$ )। ई-वे बिल और डिजिटल प्रक्रियाओं जैसे उपायों के कारण कर चोरी की गतिविधियों में कमी आई है। हालाँकि, एक अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि उत्तरदाताओं ने जीएसटी प्रणाली को पहले की कर प्रणाली की तुलना में अधिक कठिन ( $p = 0.0001$ ) माना। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि नई प्रणाली में अनुपालन जटिलताओं और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर, परिकल्पना परीक्षण यह सिद्ध करता है कि जीएसटी ने कर प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और राजस्व संग्रहण में वृद्धि लाने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन इसे सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए सुधार की आवश्यकता है। इन परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया है, साथ ही इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ भविष्य में सुधार के लिए एक अवसर प्रदान करती हैं।

परिकल्पना परीक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि जीएसटी प्रणाली ने राजस्व संग्रहण में वृद्धि की है, कर अपवंचन पर प्रभावी नियंत्रण किया है, और एक लोकप्रिय कर प्रणाली के

रूप में उभरी है। हालाँकि, इसे पहले की प्रणाली की तुलना में अधिक जटिल माना गया है।

#### निष्कर्ष:

इस अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने भारतीय कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार लाने में सफलता प्राप्त की है। जीएसटी को एक लोकप्रिय कर प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसने राजस्व संग्रहण में वृद्धि, कर अपवंचन पर प्रभावी नियंत्रण, और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्ययन के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जीएसटी ने करदाताओं और व्यापारियों के लिए पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की है, जिससे कर प्रणाली अधिक संगठित और परिणामदायक बनी है। हालाँकि, अनुपालन की जटिलताओं और तकनीकी चुनौतियों ने इसे पहले की प्रणाली की तुलना में अधिक कठिन बना दिया है। यह अध्ययन यह इंगित करता है कि जीएसटी प्रणाली में सुधार की गुंजाइश है, विशेषकर अनुपालन को अधिक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के संदर्भ में। कुल मिलाकर, जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थायित्व और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में सफलता पाई है और यह भविष्य के कर सुधारों के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करता है।

#### सन्दर्भ सूची:

1. समासामयिकी महासागर, अक्टूबर 2016, "वस्तु एवं सेवा कर संसद में प्रवेश", पृष्ठ संख्या 90।
2. घटना चक्र, वार्षिकांक 2016, "वस्तु एवं सेवा कर विधेयक जारी", पृष्ठ संख्या 47।
3. दैनिक जागरण, समाचार पत्र (26 अक्टूबर 2016), "वस्तु एवं सेवा कर सेवाएं 18 प्रतिशत कर स्थान", पृष्ठ संख्या 17।
4. गिरीश गर्ग (2014), "भारत में वस्तु एवं सेवा कर की बुनियादी अवधारणाएं एवं विशेषताएं", इंटरनेशनल

- जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड मैनेजमेंट (IJSRM), खंड 2, अंक 2, पृष्ठ 542-549।
5. लोर्डुनाथन एफ और जेवियर पी (2017), "भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन पर एक अध्ययन: प्रॉस्पेक्टस और चुनौतियां", *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च*, 3(1): 626-629।
  6. पिंकी, सुप्रिया कामना, ऋचा वर्मा (2014), "वस्तु एवं सेवा कर – भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए रामबाण", *टैक्टफुल मैनेजमेंट रिसर्च जर्नल*, खंड 2, अंक 10, जुलाई 2014।
  7. जीएसटी प्रणाली सांख्यिकी: वस्तु एवं सेवा कर परिषद।
  8. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017।
  9. द्विवेदी ए, अग्रवाल डी, मदन जे (2019), "भारत में चमड़ा उद्योगों पर केंद्रित सतत विनिर्माण मूल्यांकन मॉडल: एक TISM दृष्टिकोण", *विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति प्रबंधन के जर्नल*, 10(2):319–359।
  10. एबेके सी, मंसूर एम, और रोटा-ग्राज़ियोसी जी (2016), "उप-सहारा अफ्रीका में कर लगाने की शक्ति: LTU, VAT और सरस"।
  11. *आर्थिक सर्वेक्षण* (2020–21), अध्याय 2: राजकोषीय विकास, पृष्ठ 51-89।
  12. जीएसटी परिषद (2020 वी), "मीडिया में जीएसटी", अभिगमन तिथि: 9 जून, 2020, <http://gstcouncil.gov.in/>
  13. गुप्ता ए एस (2007), "विकासशील देशों में कर राजस्व प्रयासों के निर्धारक", *अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष*
  14. IBEF (2020), "आर्थिक सर्वेक्षण-2019-20", अभिगमन तिथि: 31 अक्टूबर।
  15. डेलॉयट (2020), "जीएसटी यात्रा के अब तक के तीन साल और आगे का रास्ता", <https://www2.deloitte.com/in/en/pages/tax/articles/three-years-of-gst.html>।
  16. धीर एस, ऑंगसाकुल वी, अहमद जेड्यू, राजन आर (2020), "ज्ञान का एकीकरण और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि: भारती एयरटेल द्वारा जैन के अधिग्रहण का एक मामला", *जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च*, 119:674–684।
  17. धीर एस, राजन आर, ऑंगसाकुल वी, ओवुसु आरए, अहमद जेड्यू (2021), "सीमा पार अधिग्रहण के प्रदर्शन को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण सफलता
- कारक: अफ्रीकी दूरसंचार बाजार से साक्ष्य", *थंडरबर्ड इंटरनेशनल बिजनेस रिव्यू*, 63(1):43–61।
18. डोम आर (2018), "उप-सहारा अफ्रीका में कराधान और जवाबदेही", *वर्किंग पेपर 544*, लंदन: प्रवासी विकास संस्थान।
  19. आनंद आर, मेधावी एस, सोनी बी, मल्होत्रा सी, बनवेट डी (2018), "भारत में सूचना सुरक्षा शासन में परिवर्तन: एक SAP-LAP आधारित केस स्टडी", *सूचना और कंप्यूटर सुरक्षा*, 26(1):58–90।
  20. बेस्ले टी, पर्सन टी (2009), "राज्य क्षमता की उत्पत्ति: संपत्ति के अधिकार, कराधान और राजनीति", *अमेरिकी आर्थिक समीक्षा*, 99(4):1218–1244।
  21. भट्टाचार्य जी (2017), "भारतीय विकास में जीएसटी का मूल्यांकन और कार्यान्वयन: एक अध्ययन", *वाणिज्य और प्रबंधन अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल*, 3(11):65–68।
  22. बिंदल एम, गुप्ता डीसी (2018), "भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव", *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट रिसर्च (IJEMR)*, 8(2):143–148।